भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1366
दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचायत के प्रमुख को मानदेय

1366. श्री रमाशंकर राजभरः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्यों, प्रधान और खंड विकास परिषद (बीडीसी) को मानदेय प्रदान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का उक्त मानदेय में वृद्धि करने का प्रस्ताव/योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्थापित और संचालित किया जाता है| तदनुसार, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों को मानदेय/पारिश्रमिक/भत्ता प्रदान करने या उनमें वृद्धि करने सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने-अपने पंचायती राज कानूनों में पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए मानदेय/पारिश्रमिक/भत्ते से संबंधित प्रावधान किए हैं।

****